प0 सं0–14/डी0एल0ए0 (ग्रीड उपकेन्द्र)–मुजफ्फरपुर–206/2013– 2788 /रा0, पटना–15, दिनांक:– 04/12/2013

बिहार सरकार

(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

भू–अर्जन प्रशाखा

अधिसूचना

संख्या : आर0 पटना, दिनांक :

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा–द्वारिका नगर , थाना नं0–432, अंचल–मुशहरी जिला–मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात 220/132/33 के०भी० ग्रीड उपकेन्द्र, द्वारिका नगर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा–द्वारिका नगर, थाना नं0–432, अंचल–मुशहरी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम– वेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटाँक है जो 14.76 **(चौदह एकड़ छेत्तर डीसमल)** एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :–अर्जनाधीन पूर्ण खेसरा न0.–454, 455, 456, 457 ,458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, तथा अंश खेसरा न0. –453, एवं 475 तथा 494.

चौहद्दी

उत्तर – पूर्ण खेसरा नं०– 449, 450, एवं 492 एवं अंश खेसरा नं0–453, 475,एवं 494.

दक्षिण – पूर्ण खेसरा नं०–509, 510, 511, 512.

पूरब – सड़क–खेसरा नं0–526.

पश्चिम – सिमान नरौली थाना नं0 428 II .

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा–4के उपबंधो के अधीन जो भूमि अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1960 से संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय विधुत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नही होगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अनुपम कुमार)
समाहर्त्ता
मुजफ्फरपुर

सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।

(P.T.O.)

ज्ञा० सं०–14/डी०एल०ए० (ग्रीड उपकेन्द्र)–मुजफ्फरपुर–206/2013– 2788 /रा०, पटना–15, दिनांकः– ..../...../2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को 3 (तीन) प्रतियों में (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ तथा प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।